

ज अदालत- उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा मुकाम- भीलवाडा जिला भीलवाडा

उनवान

मोहम्मद इकबाल बनावाम उ. का. सु. प्र. का. से

समा मुकदमा 136 वादपत्र / प्रा०प० मु० नं० 229/24

पेशी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	-----------------------------------	--

बाद जांच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को पेश हो।

*10/6/24*

*Shud*  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/9/24 को पेश हो।

*10/6/24*

आदेश से रीडर

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26/11/24 को पेश हो।

*18/9/24*

आदेश से रीडर

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/10/24 को पेश हो।

*30/10/24*

आदेश से रीडर

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

*30/10/24*

आदेश से रीडर

२२-०८-२५

प्राथमिक पेश हूँ। प्राथमिक अधिकार  
उपस्थित। विपक्षीय अनुपस्थित। नदीनगर  
भीलवाड़ा की रिपोर्ट पठां। भू. अ. २५/१७  
दिनांक ०६-०६-२५ से प्राप्त हुई। नदीनगर  
रिपोर्ट अनुसार खेती क्षेत्र के वन्य क्षेत्र  
जमावटी में हुई खेती को शुद्धि पत्र  
सं० ५५ स्वीकृत दिनांक ०५-०५-२५ से  
पुरख ३५ दिनांक गया है अतः उक्त  
प्राथमिक पत्र में अन्तर्निर्धार १३६  
भू. अ. म. अधिनियम १९५६ के अन्तर्नि  
कोई प्राथमिकी क्षेत्र नहीं रहती है।  
अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है  
प्रकरण प्रो. शा. सु. मा. र. से उक्त  
है।

*Shankar*  
उपस्थित अधिकारी  
भीलवाड़ा